| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**F.S.S.Act Case No.48/2024** | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.10.2024 | पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी कमलेश पुत्र रतनलाल जी, जाति– अग्रवाल, निवासी– शीतला चौक, आनन्द नगर गली नं. 4, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्यकोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अग्रसेन ट्रडिंग कम्पनी, जी–1/21 रिको एरिया, शिवगंज, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित।<br>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 26.10.2023 को फर्म अग्रसेन ट्रेडिंग कम्पनी, जी–1/21 रिको एरिया, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र रतनलाल जी, जाति– अग्रवाल, निवासी–शीतला चौक, आनन्द नगर गली नं. 4, शिवगंज, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) का नमूना संख्या S-2230, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:LS/2880/Act/2023/2885 दिनांक 07.11.2023 में Contravention of Regulations No.4(6) of food safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर शास्ति अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 23.10.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री चौधरी की बहस सुनी गई, जिन्होंने बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कोई कार्यवाही मौके पर व विधि अनुसार सम्पादित नही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) के सेम्पल को एकत्रित कर कब्जे में लेकर एक निश्चित ताप पर स्टोर नही किये थे जिसकी जानकारी प्रतिवादी ने आवेदक को दी थी कि आप उक्त Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) के सेम्पल को एक निश्चित ताप में ही स्टोर करे, अन्यथा तापमान कम ज्यादा होने पर Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) की क्वालिटी प्रभावित होती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त Inter Esterified | |

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)
प्रति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**F.S.S.Act Case No.48/2024** | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| | Vegetable fat (शीशदानी) के सेम्पल को एकत्रित कर कब्जे जाब्ते में लिया जाने के समय से लेकर वक्त परीक्षण तक सेम्पलिंग को किस तापमान पर स्टोर किया तथा विधि सम्मत स्टोरेज की प्रक्रिया के पालन के सबंध में कोई भी कथन का दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत नही किया है। साथ ही आवेदक की उक्त त्रृटि के कारण ही सेम्पल की क्वालिटी प्रभावित हुई है जिसमें उक्त सेम्ल Contravention of Regulations No.4(6) of food safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 होना पाया जाने में प्रतिवादी की कोई त्रृटि या अपराध किया जाना गलत व मनगंढत है। प्रतिवादी द्वारा आवेदक को सेम्पलिंग के समय से लेकर वक्त परीक्षण सेम्पल को एक ही तापमान पर स्टोर किये जाने के संबंध में कई बार निवेदन किये गये थे। साथ ही आवेदक द्वारा भी विधिसम्मत स्टोरेज प्रक्रिया का पालन नही कर केवल मात्र आंकडे दर्शित करने हेतु प्रतिवादी की उक्त दुकान से उक्त सेम्पल लिया जाकर प्रतिवादी को झूठां फसाया गया है। सही हकीकत यह है कि उक्त सेम्पलिंग के बाद से सेम्पल को एक ही तापमान पर स्टोर किया जाना आवश्यक व विधि सम्मत था परन्तु उक्त स्टोरेज की त्रृटि के कारण की सेम्पल की क्वालिटी प्रभावित हुई है जिससे उक्त सेम्पलिंग Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) को Contravention of Regulations No.4(6) of food safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 का विक्रय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया होना अभियुक्त विरुद्व होना सर्वथा मिथ्या, असत्य व अप्रमाणित है। प्रतिवादी, उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता/पैकर नही है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।<br><br>हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 26.10.2023 को फर्म अग्रसेन ट्रेडिंग कम्पनी, जी–1/21 रिको एरिया, शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र रतनलाल जी, जाति– अग्रवाल, निवासी– निवासी– शीतला चौक, आनन्द नगर गली नं. 4, शिवगंज उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र रतनलाल जी को प्रपत्र 5ए में गवाह श्री रणवीर सिंह, कानिस्टेबल, पुलिस थाना शिवगंज के समक्ष देकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दुकान<br>.....लगातार | |

प्रा. जिला कलेक्टर<br>सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:26 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**F.S.S.Act Case No.48/2024** | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| | के अन्दर रखे खाद्य पदार्थ Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) के 50 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/– (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र रतनलाल जी को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2230, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र रतनलाल जी एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2230 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र रतनलाल जी व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता श्री दिलीप सिंह यादव व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेश परिहार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक 31.10.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अग्रसेन ट्रेडिंग [illegible] एरिया, शिवगंज में प्रतिवादी विक्रेता कमलेश पुत्र रतनलाल जी से खाद्य पदार्थ Inter<br>.....लगातार | |

न्यायालय मु० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

वरि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:26 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**F.S.S.Act Case No.48/2024** | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| | Esterified Vegetable fat (शीशदानी) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) का नमूना संख्या S-2230 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: LS/2880/Act/2023/2885 दिनांक 07.11.2023 में Contravention of Regulations No.4(6) of food safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 पाया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी कमलेश ने Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) के खरीद का बिल प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया है एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल की प्रोपराईटरी फर्म अग्रसेन ट्रेडिंग कम्पनी, जी–1/21 रिको एरिया, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी कमलेश पुत्र रतनलाल जी द्वारा Contravention of Regulations No.4(6) of food safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 खाद्य पदार्थ Inter Esterified Vegetable fat (शीशदानी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।<br><br>**आदेश**<br><br>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत प्रतिवादी कमलेश पुत्र रतनलाल जी, जाति– अग्रवाल, निवासी– शीतला चौक, आनन्द नगर गली नं. 4, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्यकोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अग्रसेन ट्रडिंग कम्पनी, जी–1/21 रिको एरिया, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी कमलेश पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 29.11..2024 को पेश हो।<br><br>(डॉ. दिनेश राय सापेला) | |

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:26 IST
Reason: SelfAttested